

12700 - क़सम के कफ़्फारा के रोज़े में निरंतरता शर्त नहीं है

प्रश्न

क्या क़सम के कफ़्फारा में तीन दिन के रोज़े का लगातार होना ज़रूरी है?

विस्तृत उत्तर

क़सम के कफ़्फारा में तीन दिन के रोज़ों का लगातार होना ज़रूरी नहीं है। अतः यदि वह ये रोज़े अलग-अलग दिनों में रखता है, तो यह उसके लिए पर्याप्त है। क्योंकि अल्लाह तआला का यह कथन (जिसमें क़सम के कफ़्फारा का उल्लेख है) सामान्य है (इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है) :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَمَارَثُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا ثُطِعْمُونَ .. أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيزُ رَقَبَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

المائدة : 89

“अल्लाह तुम्हें तुम्हारी व्यर्थ क़समों पर नहीं पकड़ता, परंतु तुम्हें उसपर पकड़ता है जो तुमने पक्के इरादे से क़समें खाई हैं। तो उसका प्रायश्चित दस निर्धनों को भोजन कराना है, औसत दर्जे का, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, अथवा उन्हें कपड़े पहनाना, अथवा एक दास मुक्त करना। फिर जो न पाए तो तीन दिन के रोज़े रखना है।” (सूरतुल मायदा : 89)

यहाँ अल्लाह ने रोज़ा रखने को निरंतरता के साथ प्रतिबंधित नहीं किया है।

इब्ने हज़म ने “अल-मुहल्ला” (6/345) में कहा :

“यदि वह चाहे, तो तीन दिनों का रोज़ा अलग-अलग रखना पर्याप्त है - यह मालिक और शाफ़ेई का कथन है... क्योंकि जब अल्लाह ने यह निर्धारित नहीं किया कि उन्हें लगातार होना चाहिए, अलग-अलग नहीं होना चाहिए। तो वह उनका जिस तरह भी रोज़ा रखता है, वह उसके लिए पर्याप्त है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

तथा “फतावा अल-लजनह अद-दाईमह” (23/22) में आया है :

“बेहतर यह है कि क़सम के कफ़्फारा का रोज़ा लगातार रखा जाए, लेकिन यदि वह लगातार न रखे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

देखिए : “अल-इंसाफ़” (11/42), “अल-मुऱनी” (10/15) और “अल-मुद्वनह” (1/280).